न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः रामचन्द्र खटीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 34 / 2016

उनवान

(1) बदरी पिता हिरा जाति भील निवासी बोरी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) शंकर पिता हिरा जाति भील निवासी बोरी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) हरिश पिता हिरा जाति भील निवासी बोरी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 30.7.2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व मौजा बोरी पटवार हल्का बोरी की खाता संख्या 565(नई) 555 (पुरानी) के कुल किता 5 रकबा 1.40 हे0 भूमि के बटंवारा का वाद धारा 53, 209 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया गया।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर दौराने कार्यवाही पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर—बोरी पर पेश होने पर प्रकरण में पक्षकारान् के निहित हिस्से के अनुसार बटवारा करने का निर्णय पारित किया जाकर निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार, गढ़ी को भिजवाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार गढ़ी द्वारा नीचे वर्णित अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवार हल्का	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	रकबा (हे0)
1	बोरी	बोरी	बदरी पिता हिरा भील सा.देह.खातेदार	6059	0.34
				6063	0.13
			योगः—	2	0.47
2	बोरी	बोरी	शंकर पिता हिरा भील सा.देह.खातेदार	6064	0.45
			योगः—	1	0.45
3	बोरी	बोरी	हरिश पिता हिरा भील सा.देह.खातेदार	6061	0.07
				6062	0.31
				6063 / 1	0.10
			योग :—	3	0.48

(रामचन्द्र खटीक)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

तहसीलदार, गढ़ी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदारान् का खाता विभाजित कर पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या 565 (नई) 555 (पुरानी) के सर्वे नम्बरान्/रकबा उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की पृथक से अन्तिम डिक्री जारी कर निर्णय

अन्तिम डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : रामचन्द्र खटीक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 34/2016

उनवान

(1) बदरी पिता हिरा जाति भील निवासी बोरी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बना

(1) शंकर पिता हिरा जाति भील निवासी बोरी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) हरिश पिता हिरा जाति भील निवासी बोरी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 30.7.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि तहसीलदार, गढ़ी से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार नीचे वर्णित खातेदारान् का खाता विभाजित कर पटवार हल्का बोरी के मौजा बोरी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या 565 (नई) 555 (पुरानी) के सर्वे नम्बरान्/रकबा उनके नाम के सम्मुख अंकित अनुसार दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी कर निर्णय व डिक्री की छाया प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार, गढ़ी को भिजवाई जाती हैः—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	पटवार हल्का	खातेदार का नाम	सर्वे नम्बर	रकबा (हे0)
1	बोरी	बोरी	बदरी पिता हिरा भील सा.देह.खातेदार	6059	0.34
				6063	0.13
			योगः—	2	0.47
2	बोरी	बोरी	शंकर पिता हिरा भील सा.देह.खातेदार	6064	0.45
			योगः—	1	0.45
3	बोरी	बोरी	हरिश पिता हिरा भील सा.देह.खातेदार	6061	0.07
				6062	0.31
				6063/1	0.10
			योग :—	3	0.48

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसबत मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 30.7.2019 को जारी की गई।

(रामचन्द्र खटीक)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य